

नम्बर  
अदालत  
द्वारा जारी  
होने वाली हुए

## न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या - 148/2016 (आवंटन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00297

सरकार जय्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

---प्रार्थी

बनाम

मंगला आत्मज देवलाल जाति लश्करी निवासी कुंभकोट रामगंजमण्डी  
जिला कोटा

---अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ  
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के  
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

- 1 परोकार सरकार

### निर्णय


दिनांक:- 29/10/2024

- 1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट के आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 1.13 हे० भूमि को भूमि दिनांक 1.3.1970 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
- 2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस आबाद मकान पर चस्पादगी से प्राप्त हुआ । इस पर हमने मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 15.7.2024 अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है । मौके पर भूमि में मलबा व वेस्ट मेटेरियल पड़ा हुआ है जो आस पास की फैंक्ट्री द्वारा डाला गया है । भूमि के कुछ भाग पर रास्ता निकला हुआ है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
- 3 परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 171 की रकबा 1.13 हे०, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.7.2024 से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं होकर मलबा पड़ा हुआ है तथा कुछ भाग पर रास्ता निकला हुआ है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से

जिला कलेक्टर  
कोटा

तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

- 4 हमने पेशेकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 171 रकबा 1.13 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.7.2024 अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है अपितु मलबा पड़ा हुआ है तथा कुछ भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 171 की रकबा 1.13 हे० भूमि आवंटि अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तथा आवंटित भूमि मौके पर मलबा पड़ा होने एवं कुछ भाग में रास्ता निकला होने से आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में दिनांक 1.3.1970 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा  
जिबा कलेक्टर  
कोटा